उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

संख्या-2536/14-2-2017-377/76 टीसी

लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

<u>पुनरीक्षित अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश इमारती लकडी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 के नियम-3 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2530/14-2-97-377/76 टीसी दिनांक 14.08.1997 और संख्या-2427/14-2-2017-377/76 टीसी, दिनांक 25.10.2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नवत छूट प्रदान करते हैं –

(1) राज्य के 62 जिलों अर्थात :- (1) आजमगढ़ (2) बलिया (3) बस्ती (4) बदायूं (5) देवरिया (6) गाजीपुर (7) मैनपुरी (8) मऊ (9) मुरादाबाद (10) संतकबीरनगर (11) भदोही (संतरविदास नगर) (12) वाराणसी (13) अलीगढ़ (14) इलाहाबाद (15) अम्बेडकरनगर (16) बागपत (17) बाराबंकी (18) बरेली (19) फतेहपुर (20) गाजियाबाद (21) गोरखपुर (22) हाथरस (23) जौनपुर (24) कानपुर नगर (25) कानपुर देहात (26) कौशाम्बी (27) कुशीनगर (28) मथुरा (29) हापुड़ (30) शामली (31) मुजफ्फरनगर (32) सिद्वार्थनगर (33) कन्नौज (34) बांदा (35) एटा (36) फैजाबाद (37) फर्रूखाबाद (38) फिरोजाबाद (39) गौतमबुद्वनगर (40) गोण्डा (41) हरदोई (42) मेरठ (43) प्रतापगढ़ (44) रायबरेली (45) शाहजहॉपुर (46) सम्भल (47) कासगज (कांशीरामनगर) (48) बुलंदशहर (49) अमरोहा (ज्योतिबाफुलेनगर) (50) महोबा (51) औरैया (52) रामपुर (53) सीतापुर (54) सुल्तानपुर (55) अमेठी (56) हमीरपुर (57) झॉसी (58) जालौन (59) उन्नाव (60) आगरा (61) इटावा एवं (62) बिजनौर में वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित आम (देशी/तुकमी/कलमी), नीम, साल, महुआ व खैर प्रजातियों से भिन्न समस्त वृक्ष प्रजातियों की इमारती लकड़ी और छाल :

(2) राज्य के 13 जिलों, अर्थात:- (1) बहराइच (2) श्रावस्ती (3) बलरामपुर (4) चन्दौली (5) चित्रकूट (6) लखीमपुरखीरी (7) ललितपुर (8) लखनऊ (9) महराजगंज (10) मिर्जापुर (11) पीलीभीत (12) सहारनुपर (13) सोनभद्र में वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित आम (देशी/तुकमी/कलमी), नीम, साल, महुआ, खैर और सागौन (टीक) प्रजातियों से भिन्न समस्त वृक्ष प्रजातियों की इमारती लकड़ और छाल।

संजय सिंह

सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

संख्या-2536(1)/14-2-2017-377/76 टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
(4) समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(10)ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(11)सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(12)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra